दिनांक 2-9-14 को प्राप्त

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / 2865 / अध्यक्ष / 2014

1. भक्तिप्रकाशसिंह भदौरिया पुत्र श्री शिवप्रकाश सिंह भदौरिया निवासी म0प्र0ऊर्जा विकास निगम न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना
2. अमित प्रकाश सिंह भदौरिया पुत्र श्री शिवप्रकाशसिंह भदौरिया निवासी 48-ए सरस्वती नगर कमाक-1 महलगॉ व ए0जी0ऑफिस के पीछे ग्वालियर म0प्र0...प्रार्थीगण

बनाम

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अधि०
द्वारा आज दि. 1-9-14 को
प्रस्तुत
लिपिक 1-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अध्यक्ष सरस्वतीनगर कमांक-1 विकास समिति 22 सरस्वतीनगर महलगॉव रोड ए0जी0ऑफिस के पीछे सिटीसेन्टर ग्वा0
2. माननीय कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय के प्रकरण कमांक 13 / 2013-14 बी-121 में पारित आदेश दिनांकी 19.08.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2865–पीबीआर/14 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । कलेक्टर द्वारा सूचना पत्र का प्रकाशन किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित हों, अतः आवेदकगण के अधिवक्ता उपस्थित हो गए थे, इसके बावजूद भी आवेदक कमांक 1 पर कलेक्टर द्वारा 5000/–रूपये की कॉस्ट लगाने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जो तलवाना प्रस्तुत किया गया है, उसमें आवेदक कमांक 1 का पता मुरैना का दर्शाया गया है, जबकि वह ग्वालियर में निवास करता है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया । 2/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भवन आवेदकगण के निजी स्वामित्व का भवन है, ऐसा कोई प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन भवन आवेदकगण को किराये पर दिया गया था, और वे खाली नहीं कर रहे हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भवन कम्युनिटी हाल होकर सार्वजनिक उपयोग का है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है, संहिता के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को इस निगरानी के सुनने	

का क्षेत्राधिकार नहीं है । तर्क के समर्थन में 1999 आर.एन. 428 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

3/ शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है ।

4/ कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा सरस्वती नगर क्रमांक 1 महलगांव रोड के सार्वजनिक भवन पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने से उसे रिक्त करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/13–14/बी–121 दर्ज कर कार्यवाही करते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 19–8–2014 को पारित किया गया है । बी–121 शीर्षक में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विविध मामले दर्ज कर कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस निगरानी के सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है । आवेदकगण कलेक्टर के आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष